रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 1971/फाल्गुन 12, 1892

No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 1971/PHALGUNA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 3rd March 1971

S.O. 1016.—Whereas the Central Government had made an Order No. S.O. 2973 dated the 4th September, 1970 under Sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), (hereinafter referred to as the said Act), prohibiting strikes in services connected with the operation, repair or maintenance of aircraft of Air-India and Indian Airlines, being essential services.

And, whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary further to make the following Order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby prohibits strikes in the aforesaid services for a further period of six months with effect on and from the 4th March, 1971.

[No. F. 20-AC(29)/70.]

N. SAHGAL, Secy.

पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1971

का० आ० 1016.—यतः केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) (जिसे इससे आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक आदेश संख्या का०आ० 2973, दिनांक 4 सितम्बर, 1970, जारी किया था जिसके द्वारा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के परिचालन, मरम्मत अथवा अनुरक्षण से संबंधित सेवाओं में, जो कि आवश्यक सेवायें करार दी गई हैं, हड़ताल का निषेध किया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार को विश्वास हो गया है कि लोक हित में निम्नलिखित आदेश जारी करना भी आवश्यक है :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवाओं में हड़ताल का 4 मार्च, 1971 से लेकर छः मास की और आगे अवधि तक निषेध करती है।

[सं० फा० 20-ए०सी० (29)/70]

एम० सहगल, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971